राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

अधिसूचना

दिनांक.........................

बी०एस०यू०(रेगुलेशन)-20/2018(पार्ट)-................./रा०स०(।)- बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर सी.बी.सी.एस. रेगुलेशन एवं ऑर्डिनान्स को लागू करने हेतु इस सचिवालय के पत्रांक-स्था.-40/2017-1067/रा.स.(।), दिनांक 13.04.2018 द्वारा कुलपति, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अनुपालन हेतु भेजा गया है। इसी बीच विभिन्न श्रोतों से उक्त सी.बी.सी.एस. रेगुलेशन एवं ऑर्डिनान्स में यथा आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है । माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदित एवं प्रख्यापित सी.बी.सी.एस. रेगुलेशन एवं आर्डिनान्स की समीक्षा कर यथा आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव देने हेतु निम्नांकित तीन कुलपतियों की समिति गठित करने की कृपा की गयी है:-

1) **कुलपति**
   भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
2) **कुलपति**
   तिलका मॉझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
3) **कुलपति**
   ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

उपर्युक्त समिति अपना परिनियम प्रारूप अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेगी ।

माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- बी०एस०यू०(रेगुलेशन)-20/2018(पार्ट)-2196......./रा०स०(।), दिनांक-27-08-2018

प्रतिलिपि:-कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा / कुलपति, तिलका मॉझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-श्री विजय कुमार, निदेशक, एन०आई०सी०, राजभवन कम्प्युटर कोषांग को सूचनार्थ एवं राजभवन के बेबसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल-अभिलेख हेतु ।

27-8-18

अपर सचिव